जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 15-06-2021

आज दिनांक 15.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के अभियुक्त नाम पता सुरेश चौहान पुत्र राजदेव चौहान निवासी कठवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 308 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी बसवारी गांव उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा विवाद मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत दुहिया कला से इवेन्ट संख्या 03255 से कालर ने दो पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद मे घायल व्यक्ति को जरिए एंबुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद मे घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ –उ0नि0 श्री राधिकार प्रसाद, आ0 रविकांत कुशवाहा, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 178 वाहनो से 1,46,000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 178 वाहनो से 1,46,000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।